

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002312016

दांडिक प्रकरण क.-222 / 2016

संस्थापित दिनांक-02.08.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	अभियोजन
विरुद्ध	
01-नीलेश उर्फ भगवानसिंह पुत्र भागचंद रेकवार आयु 27 वर्ष निवासी फतेहावाद,चंदेरी 02-श्यामलाल पुत्र पन्नालाल रेकवार आयु 70 वर्ष निवासी फतेहावाद,चंदेरी मृत	आरोपीगण
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री पठान अधिवक्ता।	

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 04.10.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 294,323,341 एवं 506/34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी श्यामलाल मृत हो गया है तथा यह निर्णय आरोपी नीलेश के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी नाथूलाल ने दिनांक 29.06.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 29.06.16 को पुराने थाने के पीछे सदर बाजार चंदेरी में प्रातः साढ़े 10 बजे आरोपीगण ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके साथ गाली गलोच करने लगे एवं मुक्के से मारा जिससे उसे नाक में चोट आई और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 300/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 294,323,341 एवं 506/34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294,323/34,341/34 एवं 506भाग दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया जिसमें उसने स्वयं को निर्दोष होना बताया है।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी आरोपी ने दिनांक 29.06.16 को साढ़े 10 बजे पुराने थाने के पीछे सदर बाजार चंदेरी में फरियादी नाथूलाल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे सशय अपमानित किया ?
2. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपी ने फरियादी की मारपीट

कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

3. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपी ने फरियादी का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?
4. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपी ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

**--:: सकारण निष्कर्ष ::--**

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा.01 श्रीराम, अ.सा. 02नाथूलाल, अ.सा.3 घुरखा उर्फ जवाहर अ.सा.4 डॉ वर्षा एवं अ.सा.5 रामगोपाल की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक को गाली गलोच की थी और साथ ही मारपीट भी की थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन देने से इंकार किया है। अ.सा.3 घुरखा ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना की उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके समक्ष आरोपी ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही उसने फरियादी के शरीर पर कोई चोट देखी थी। उक्त साक्षी ने भी पुलिस कथन देने से इंकार किया है।

09— अ.सा.2 नाथूलाल जो कि मामले का फरियादी है ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसे घेरकर उसके साथ मारपीट की थी और साथ ही गालियां भी दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्र0पी02 की रिपोर्ट लेख कराई थी तथा पुलिस ने नक्सा मौका प्र0पी03 तैयार किया था। अ.सा.4 डॉ वर्षा ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 29.06.16 को आहत नाथूलाल का

मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी05 है उक्त रिपोर्ट अनुसार आहत की नाक पर खून बह रहा था। अ.सा.5 रामगोपाल वर्मा जो कि मामले का विवेचक है उसने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये गये थे और साथ ही नक्सा मोका प्र0पी03 बनाया गया था।

10— प्रकरण में अ.सा.1 एवं 03 पक्षद्रोही हो गये हैं उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि अ.सा.2 ने अपने कथनों में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा उसके साथ गाली गलोच की गई थी और साथ ही मारपीट भी की गई थी। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया कि उक्त मारपीट से उसके नाक में चोट आई थी। इस प्रकार फरियादी के कथनों की संपुष्टि अ.सा.4 मेडिकल विशेषज्ञ की साक्ष्य से हो रही है। प्रकरण में फरियादी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा उसका रास्ता रोका गया और साथ ही यह भी नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गई। यद्यपि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये हैं किंतु मामले के फरियादी की साक्ष्य अखण्डनीय रही है तथा उसकी साक्ष्य की संपुष्टि अभिलेख पर आई हुई अन्य साक्ष्य से हो रही है। आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा आरोपी को मामले में झूठा फसाया है।

11— इस प्रकार अभियोजन द्वारा साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया गया और न ही यह प्रमाणित होता है कि आरोपी द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई और साथ ही फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे क्षोभ कारित किया गया। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 341 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। तथा भा द वि की धारा 294 एवं 323/34 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

12— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चन्देरी जिला—अशोकनगर

**पुनश्च:—**

13. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री पठान का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है। आरोपी ने फरियादी की मारपीट कर उपहति कारित की है जिसके गंभीर परिणाम भी हो सकते थे। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

14. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा हिंसा का मार्ग अपनाया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 294 के अपराध में 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का साधारण कारावास भोगेंगा आरोपी को भा.द.वि.

की धारा 323 के अपराध में 15 दिवस के साधारण कारावास एवं 300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

15. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

17. आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

18. आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)